न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 120 / 2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

शरीफ मोहम्मद पुत्र शफी मोहम्मद पिनारा निवासी रहड तहसील शाहपुरा

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

विपक्षी

उपस्थिति – **श्री त्रिलोक चन्द नौलखा**
अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 04 / 01 / 2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के [illegible] विपक्षी के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थी के **ग्राम रहड** [illegible] शाहपुरा जिला भीलवाडा में स्थित **आराजी नम्बर 3533 / 686 रकबा 0.35 है0** कुल **किता** 1 [illegible] 0.35 है0 हैक्टेयर का / की प्रार्थी **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के चारो तरफ [illegible] सरकार आराजी होने से अन्य व्यक्ति नाप चौक करना कब्जा करने पर आमदा हो रहे है [illegible] पर विवाद करते है। प्रार्थी अपनी आराजी की मेडों से घास काटते समय अन्य व्यक्ति [illegible] है। व सीमा संबंधी विवाद किये जाने के कारण पत्थरगढी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी [illegible] सरकार उपस्थित जिन्होने बताया कि प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी किये जाने पर सरकार [illegible] कोई आपत्ति नहीं है। बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते [illegible] नकल जमाबन्दी **ग्राम रहड़ संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त [illegible] आराजीयात् के प्रार्थी **खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है [illegible] प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **रहड़** में स्थित प्रार्थी की [illegible] **खातेदारी** की आराजीयात् **किता 1 रकबा 0.35 है0 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान [illegible] मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में [illegible] हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी **ऑफ सीजन में** किये जाने हेतु [illegible] शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 100 / – रूपये [illegible] किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04 / 01 / 2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.